



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400]
No. 400]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2005/भाद्र 29, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2005/BHADRA 29, 1927

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2005

आयकर

सा.का.नि. 597(अ).—जबकि भारत गणराज्य की सरकार और पुर्तगाली गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए दिनांक 16 जून, 2000 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या सा.का.नि. 542(अ) दिनांक 16 जून, 2000 की अधिसूचना में अभिसमय को अधिसूचित किया गया था ;

जबकि उक्त अधिसूचना के अनुबंध में अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 5 का आंशोधन अपेक्षित है ;

जबकि पुर्तगाली गणराज्य की सरकार को आवश्यक संशोधन के बारे में सूचित किया गया था और उनकी स्वीकृति विदेश मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 10 फरवरी, 2005 के पत्र के तहत सम्प्रेषित की गई थी ;

अतः, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 16 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 542(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में अनुबंध में अनुच्छेद 23 में, पैराग्राफ 3 में भारत गणराज्य की सरकार और पुर्तगाली गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान परिहार और वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए अभिसमय के संबंध में पैराग्राफ 5 में, "पैराग्राफ 1 एवं 2" शब्दों और अंकों के लिए "पैराग्राफ 2 एवं 3" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 199/2005-एफ.टी.डी./फा. सं. 503/5/91-एफ.टी.डी.]

डी. पी. सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2005

INCOME-TAX

G.S.R. 597(E).—Whereas the convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income was notified in the notification of the Government of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue), number G.S.R. 542(E) dated the 16th June, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, in Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 16th June, 2000 ;

Whereas paragraph 5 of article 23 in the Annexure to the said notification requires modifications ;

Whereas the Government of the Portuguese Republic were informed about the necessary amendment and their acceptance was communicated by the Ministry of External Affairs *vide* letter dated the 10th February 2005 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification number GSR 542(E) dated the 16th June, 2000, namely:—

In the said notification, in the Annexure, relating to the convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Portuguese Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, in Article 23, in paragraph 5, for the words and figures “paragraphs 1 and 2” the words and figures “paragraphs 2 and 3” shall be substituted.

[Notification No. 199/2005-FTD/F. No. 503/5/91-FTD]

D. P. SENGUPTA, Jt. Secy.